न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : **श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

राजस्व वादपत्र संख्या : 85/2021

GCMS No. : **2021/152**

–: वादी :–

1. तहसीलदार, जैतारण
   लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
   तहसील–जैतारण,
   जिला–ब्यावर(राज.)

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. लेखराज पुत्र जयराम फुलवारी
2. रविन्द्र पुत्र लेखराज
3. विनोद पुत्र लेखराज

जातिगण– रेगर, निवासीगण– नेहर, ब्यावर जिला अजमेर(राज.)

राजस्व वादपत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू –: 23.06.2021

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण, पैरोकार सरकार।
2. श्री महेन्द्र कुमार गुंर्रा, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

दिनाँक :– 31/08/2023

राज्य सरकार की ओर से वादी तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि भूमि हाल खसरा नंबर 950 रकबा 04–05 बीघा, किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 952 रकबा 11–05 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 954 रकबा 04–03 बीघा किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा नम्बर 3 कुल रकबा 19–13 बीघा सरहद मौजा निमाज तहसील जैतारण में स्थित है। उक्त आराजी का वादी भूमि लैण्ड होल्डर है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी नंबर 01 से लगायत 03 ने जमीन वर्णित पैरा संख्या 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित करके कृषि जमीन का खुर्द बुर्द कर रहे है। जिसका प्रतिवादीगण को हक नहीं है। प्रतिवादीगण ने राजस्थान कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। दावा हाजा के लिए बिनाय मुखासमत दिनांक 09.06.2021 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से अवैध रूप से अकृषि(आवासीय कॉलोनी प्रयोजनार्थ) का कार्य करने की सुचना जरिये रिपोर्ट दी। वादपत्र को [illegible] का हक अदालत हाज को धारा 177 92क, आर.टी एक्ट 1955 के तहत [illegible] वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन है कि बाद बहक वादी विरुद्ध [...]गण डिक्री फरमाया जाकर वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाये [...] प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:34:36 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

खुर्द बुर्द नहीं करे। अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आरटी एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

इस पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 26.07.2021 को सरकारी पैरोकार उपस्थित व प्रतिवादीगण को बार बार आवाजे लगाई गई, बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 06.09.2021 को वकालतनामा व प्रार्थनापत्र एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त करने हेतु किया, जो शामिल मिसल है। जिस बहस दरख्वास्त सुनी गई तथा एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 13.09.2021 को जवाब दावा मय फहरिस्त दस्तावेजात् पेश किये गए, जो शामिल मिसल है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने जवाब दावा में कथन किया है कि वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि जिसके प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि में किसी भी तरह का कोई निर्माण कार्य नही किया गया है, न ही मौके पर कोई आवासीय कॉलोनी बनाकर कोई भूखण्ड काटे गये है। प्रतिवादीगण की भूमि कृषि कार्य के लिये ही उपयोग उपभोग में ली जा रही है। न्यायालय द्वारा मौके कमिश्नर नियुक्त फरमाकर मौका स्थिति की रिपोर्ट तलब करवाने पर सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। वादी तहसीलदार जैतारण द्वारा सहवन से गलतफहमी से प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत यह कार्यवाही की गई है, जो काबिल खारिज के है। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र खारिज फरमावे। मौके के फोटोग्राफ एवं वादग्रस्त आराजी के दस्तावेजात इस जवाब दावा के साथ पेश है।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने दिनांक 27.09.2021 को तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होकर जाहिर किया है कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान में खाली पड़ी है एवं वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार से कोई कॉलोनी नहीं काटी हुई, है तथा न्यायालय हाजा से वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में मौका कमिश्नर नियुक्त कर वर्तमान मौका रिपोर्ट मंगवाने की इस्तदुआ की। इस सम्बन्ध में भू अभिलेख निरीक्षक को वादग्रस्त आराजी की मौका स्थिति एवं उपपंजीयन अधिकारी से रेकर्ड बैचान आदि की सूचना प्राप्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हेतु नोटेड करवाया गया।

इस पर भू. अ. निरीक्षक वृत. निमाज द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 05.07.2022 को प्रस्तुत की गई, जो शामिल मिसल की गई। फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार माफिक वर्तमान राजस्व रेकर्ड [illegible] खसरा नम्बर 950 रकबा [illegible] 1.11 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 0.6880 हैक्टेयर, खसरा नम्बर [illegible] पुत्र जयराम, रविन्द्र कुमार पुत्र 954 रकबा 0.6718 हैक्टेयर में खातेदार लेख[illegible] जाति रेगर, सा0 ब्यावर बतौर लेखराज, व विनोद कुमार पुत्र लेखराज फुल[illegible] जाति रेगर, सा0 ब्यावर बतौर खातेदार दर्ज है। उक्त आराजी पर वर्तमान में कोई प्लोटिंग नहीं हो रखी है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:34:36 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

भूमि में प्लोटिंग कर आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं हो रही है। मौके पर भूमि खाली पड़ी है।

दिनांक 01.08.2022 को सरकारी पैरोकार व वकील प्रतिवादीगण उपस्थित। नायब तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित यदि कोई बैचान हस्तान्तरण आदि हुआ हो तो उपपंजीयन अधिकारी जैतारण से रिपोर्ट ली जाकर वादग्रस्त आराजी की वर्तमान मौके की स्थिति, फोटोग्राफस् व तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत पेश करे। इस पर नायब तहसीलदार जैतारण मय भू. अभिलेख निरीक्षक वृत. निमाज द्वारा तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट मय दस्तावेज दिनांक 14.11.2022 को पेश की गई, जो शामिल मिसल की गई। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार माफिक वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 950 रकबा 0.6880 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 952 रकबा 1.8211 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 954 रकबा 0.6718 हैक्टेयर में खातेदार रविन्द्र कुमार पुत्र लेखराज, लेखराज पुत्र जयाराम व विनोद कुमार पुत्र लेखराज फुलवारी जाति रेगर, सा0 ब्यावर बतौर खातेदार दर्ज है। उपपंजीयन कार्यालय जैतारण से उक्त खसरा नम्बरान् के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार खसरा नम्बर 950, 952, 954 में जमाबन्दी राजस्व रेकर्ड में वर्तमान में किसी भी प्रकार से बैचान नहीं हो रखी है।

वकील प्रतिवादीगण ने दिनांक 24.08.2023 लिखित बहस अंतिम प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान में अकृषि कार्य के उपयोग हेतु नहीं ली जा रही है। तहसीलदार जैतारण व भू अभिलेख निरीक्षक वृत निमाज की रिपोर्ट अनुसार भी वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार की कोई प्लॉटिंग आदि नहीं हो रखी है तथा उपपंजीयन जैतारण से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित कोई बैचान हस्तान्तरण नहीं हो रखा है। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण ने उक्त जमीन का भूमि रुपान्तरण करने की कार्यवाही भी कर रखी है। जिसमें प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण ने एक प्रार्थनापत्र में अन्य आवश्यक दस्तावेज के साथ अन्तर्गत धारा 90क राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत गैरकृषि कार्य प्रयोजन के लिये प्राधिकृत अधिकारी व अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका जैतारण के समक्ष पेश कर रखी है तथा रुपान्तरण राशि 1,13,892/- रूपये जरिये रसीद संख्या 01 बुक संख्या 061 दिनांक 10.04.2023 को पेश की है तथा उक्त अधिकारी ने दिनांक 17.04.2023 लोक सूचना जारी कर दी है तथा उक्त सूचना को दिनांक 22.04.2023 को दैनिक नवज्योति पत्र जोधपुर के अंक में यह दर्शाते हुए प्रकाशित किया है कि जिस किसी को इस भूमि के रुपान्तरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह पेश करे। उपरोक्त दिनांक 22.04.2023 के बाद आज दिन तक किसी ने भी उपरोक्त जमीन के रुपान्तरण बाबत् कोई आपत्ति पेश नहीं की है। अतः प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण की ओर से निवेदन है कि यह दावा व प्रार्थनापत्र आधारहीन होने व बिना किसी वजह के होने से इसे प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के पक्ष में तथा वादी/प्रार्थी के विरुद्ध मय खर्चे हर्जे के खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:34:36 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। भू अभिलेख निरीक्षक वृत. निमाज द्वारा दिनांक 05.07.2022 को व नायब तहसीलदार जैतारण मय भू. अभिलेख निरीक्षक वृत निमाज द्वारा दिनांक 14.11.2022 को प्रस्तुत तथ्यात्मक व फर्द मौका रिपोर्ट तथा प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त आराजी के दस्तावेजात व वर्तमान मौके के फोटोग्राफस तथा लिखित बहस के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी का खसरा नम्बर 950 रकबा 0.6880 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 952 रकबा 1.8211 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 954 रकबा 0.6718 हैक्टेयर भूमि मौके पर खाली है तथा प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ काम में लिया जा रहा है। उक्त आराजी मौके पर कोई आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं हो रही है।

अतः इस प्रकार कृषि भूमि पर वर्तमान में किसी प्रकार का कोई हनन/हानिप्रद एवं अकृषि कार्य कारित होना साक्ष्यों से साबित नही होता है। अतः हस्तगत प्रकरण भली-भांति साबित नही होने से वादपत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नही होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 31.08.2023 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला-ब्यावर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:34:36 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
बईजलास :– **श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०**

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर(राज.)		1. लेखराज पुत्र जयराम फुलवारी 2. रविन्द्र पुत्र लेखराज 3. विनोद पुत्र लेखराज जातिगण– रेगर, निवासीगण– नेहर, ब्यावर जिला अजमेर(राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 — रा०वा० स०: 85/2021

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री तहसीलदार जैतारण, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री महेन्द्र कुमार गुर्रा, अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बख़ूबी साबित नही होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कद्‌र निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 31/08/2023 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–			मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह ... फरी... को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जाये ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:34:36 IST
Reason: SelfAttested